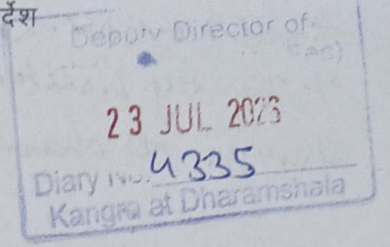


संख्या: शिक्षा-एसई(10)ए(1)पी.एस.-37/2025-सामान्य निर्देश
स्कूल शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश शिमला-1

दिनांक शिमला

जुलाई, 2026



समस्त उपनिदेशक
स्कूल शिक्षा सक्कैण्डरी/प्रारम्भिक,
हिमाचल प्रदेश।

विषय:-

प्राइवेट स्कूलों द्वारा किताबें-कापियों तथा स्कूल वर्दी बारे मनमानी रोकने बारे आग्रह।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में इस निदेशालय के पत्र संख्या शिक्षा-एसई(10)ए(1)पी.एस.-37/2025-सामान्य निर्देश दिनांक 27.01.2026 व दिनांक 27.02.2026 की निरन्तरता में सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला से प्राप्त पत्र क्रमांक: हि0शि0बो0संबद्धता(38)/2026-4369 दिनांक 10.02.2026 के सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि बोर्ड द्वारा सम्बद्धता रेगुलेशन में निर्धारित नियम 16.0.12 (a) में प्रावधान अनुसार स्कूल परिसर में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों/प्रायोगिक पुस्तकाओं की बिक्री को व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना जाता है, इस नियम का प्रावधान निम्नानुसार है:-

16.3.12(a)

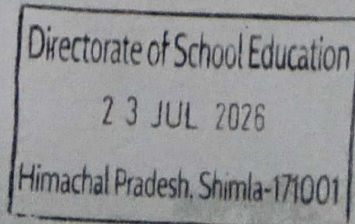
The privately managed Institutions shall not carry out any commercial activities in the Institution e.g. sale of uniforms, ties, belts, badges, shoes etc. The affiliation of the school indulging in such activities shall be cancelled. However sale of Board Prescribed Textbooks/Practical Notebooks in the schools campus are not treated as commercial activities.

अतः इस सन्दर्भ में निर्देश दिये जाते हैं कि आप समस्त निजी स्कूल प्रमुखों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के संबद्धता नियम 16.3.12(a) में जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी करें। उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने के सन्दर्भ में भविष्य में जिन स्कूलों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होगी उन स्कूलों के विरुद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान (विनियमन) अधिनियम 1997 व नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार आगामी कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा जारी किये गये अनुमति प्रमाण पत्र को रद्द किया जा सकता है। जिसके लिए स्कूल प्रबन्धन स्वयं जिम्मेवार होगा।

निदेशक स्कूल शिक्षा
हिमाचल प्रदेश।
जुलाई, 2026

पृष्ठांकन संख्या: सम् दिनांक: शिमला- 171001,
प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है:

1. सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
2. नोडल अधिकारी, (आई टी सेल) स्कूल शिक्षा निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिये जाते हैं।
3. रक्षक नस्ति।



निदेशक स्कूल शिक्षा
हिमाचल प्रदेश।

Encl. No. EDW-KGR-(G-4) Misc/2023
To the Dy. Director of School Education
Kangra at Dharamshala

Deputy Director of
School Education (Sec)

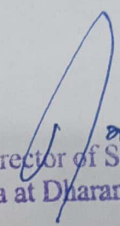
25 JUL 2026

Dispatch No. 5469
Kangra at Dharamshala

Dated: Dharamshala - 17/6/25 July, 2026

Copy To: 1. All the Heads of Private Schools (ICSE/CBSE/UPBOSE)
are hereby directed to follow the instructions
contained in this letter.

2. Office copy.


Dy. Director of School Education (Sec.)
Kangra at Dharamshala.